

## सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(ख) से सम्बन्धित 01 से 17 बिन्दुओं की सूचना झॉसी परिक्षेत्र, झॉसी:-

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आंतरित किया जाना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:- अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना।

सहायक जन सूचना अधिकारियों की शक्तियाँ/कार्य अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना जन सूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।

4- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

- (1)-कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (2)-कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (3)-पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (4)-शासन/अन्य के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- (5)-अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9-जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


14-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

15-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16-परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पदनाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्र०सं	नाम	पदनाम	कार्य
0			
1	2	3	4
1-	श्री कलानिधि नैथानी	पुलिस उप महानिरीक्षक/ अपीलीय अधिकारी	पर्यवेक्षण अधिकारी झॉसी परिक्षेत्र झॉसी
2-	श्री महेन्द्र कुमार	ए०एस०आई०(एम)/ सहायक लिपिक/प्रधान लिपिक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत किया जाना या सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना तथा जनसूचना से सम्बन्धित अन्य समस्त कार्य करना।
3-	श्री रूद्रदत्त पाण्डेय	कान्स० /सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचनायें समय से उपलब्ध कराना एवं समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

17-सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

  
 25/11/2024  
 जन सूचनाधिकारी  
 कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक  
 झॉसी परिक्षेत्र, उ०प्र० झॉसी।